177

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्र. /2017 निगरानी R-307-PBR-17

शौकत शाह वल्द मातम शाह आयु–64 वर्ष, व्यवसाय–कृषि, निवासी–अकोदिया नाका पेट्रोल पम्प के पास शुजालपुर जिला शाजापुर

............प्रार्थी

श्री आलोक शास्त्री अभि. द्वारा कोर्ट उज्जैन पर प्रस्तुत। 19-1-17

---विरूद्ध---

1. हाजी मुश्तर अली वल्द छोटेअली,
2. नफीस पठान वल्द हबीब खां पठान,
3. आबिद अली वल्द मुश्तर अली

निवासीगण–किला शुजालपुर सिटी जिला शाजापुर

4. मध्यप्रदेश शासन द्वारा तहसीलदार महोदय शुजालपुर ....प्रतिप्रार्थीगण

विषय– न्यायालय तहसीलदार शुजालपुर जिला शाजापुर के प्रकरण क्रमांक 63/अ–12/15–16 में पारित आदेश दिनांकित 22/12/2016 के पुनरीक्षण हेतु निगरानी याचिका धारा 50 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता के अन्तर्गत.

मान्यवर महो...

...लिखित प्रस्तुत है :–

1-2-17

(3)

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-307-पीबीआर/17 **जिला** - शाजापुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-18	आवेदक की ओर से, अधिवक्ता श्री आलोक शास्त्री उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 27-3-19 को कलेक्टर, जिला शाजापुर के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	